



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6262

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 16205 सन् 2025

सेराज अहमद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :-अंशु चौधरी, राम मणि उपाध्याय, सर्वजीत कुमार,श्याम सुन्दर मिश्रा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अंशु चौधरी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक सेराज अहमद की ओर से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109(1), 3(5) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 233 of 2024 में विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 02.01.2025 से कारागार में है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक के विरुद्ध गोलीबारी की भूमिका आरोपित की गई है। घायल के बयान एवं साक्षी फारुख, जो मुख्य साक्षी बताए जाते हैं, के बयान में भौतिक विरोधाभास है। एक स्थान पर घायल ने कहा कि उसने अपने घर पर दूरभाष किया तथा उसके चचेरे भाई फारुख ने फोन उठाया तत्पश्चात फारुख घटनास्थल पर पहुँचे। जबकि, फारुख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अंकित अपने बयान में कहा कि पान की दुकान पर खड़े रहते हुए उसने गोली की आवाज सुनी तत्पश्चात वह घटनास्थल पर पहुँचे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि घायल ने अपने बयान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में यह भी अंकित कराया है कि आवेदक की मिथ्या संलिप्तता का उद्देश्य अनुपूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्न पृष्ठ 51 से भली-भाँति स्थापित होता है, जिसमें घायल ने स्वयं कहा है कि वह आवेदक की माता की हत्या के प्रकरण में अभियुक्त था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 27.03.2025 को दाखिल किया जा चुका है। आग्नेयास्त्र की एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसका एक आपराधिक पूर्ववृत्त है जिसकी पर्याप्त व्याख्या की गई है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है। विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **सेराज अहमद** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
 3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।
- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।